न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./55/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. शेरखान पुत्र अमरखान 2. मीरखान पुत्र अमरखान 3. सलामत पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी मीठे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 4. रहमत अली पुत्र अब्दुल करीम 5. मोहम्मद हसन पुत्र इनायत 6. हुसैन पुत्र इनायत जातियान मुसलमान निवासी बींजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. डूंगराराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी बींजासर सेड़वा जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार/उपपंजीयक सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2020 बअनवान डूंगराराम बनाम शेरखान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.02.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलांटस की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.09.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की क्रयशुदा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी के खेत सरहद मौजा बीजासर पटवार क्षैत्र बीजासर भू अभिलेख बीजासर तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 365 रकबा 93.14 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादी का क्रय शुदा भूमि जो खातेदार जुसब पुत्र असरफ से उनके हिस्से 1/4 में से 2/3 हिस्सा रकबा 15.12 बीघा जो दिनांक 07.10.2010 को क्रय की गई है एवं खातेदार मोहम्मद हसन, हुसेन पुत्र इनायत ने अपने 1/2 हिस्सा की 4/5 हिस्सा रकबा 37.10 बीघा जो दिनांक 05.04.2010 को क्रय की गई। जो वादी का वादग्रस्त भूमि में कुल 17/30 हिस्सा, प्रतिवादीगण 01 से 03 का संयुक्त 1/12 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 04 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का संयुक्त 1/10 हिस्सा खातेदारी में बनता है। इसी अनुसार खातेदारी में इन्द्राज है तथा पक्षकार इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। वादी की अपने हिस्से की भूमि में रहवासी ढाणीया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चारागाह, पशुबाड़े इत्यादि बने हुए है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए इस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मनों को विधिवत रूप से अपीलांटगण से तामिल नहीं करवाया गया है तथा उतरदाता संख्या 01 द्वारा तामिल कुन्निदा से मिलीभगत करते हुए अपीलांटगण के फर्जी तामिल बताकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा प्रतिवादीगण को बिना कोई सूचना दिये आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर अपीलांटगण के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धनाऊ द्वारा मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता संख्या से मिलीभगत कर गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण कर उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, तहसीलदार धनाऊ स्वयं ने उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस से सूचना देकर मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अपीलांटस की मंशा बंटवारा करने नहीं देना तथा अनावश्क अवरोध पैदा करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपीले खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई तथा न ही हिस्सों को लेकर किसी प्रकार का उजर किया गया। इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार अपील में आपति जताई जबकि विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) धनाऊ स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/ को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 20.02.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार धनारू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपीले सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस की सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2020 बअनवान डूंगराराम बनाम शेरखान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.02.2023 को यथावत रखा जाता है।

(अजीतसिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर